कार्यालय उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), बाड़मेर

E-MAIL :- ddagri_barm@rediffmail.com Phone :- 02982-220672, 9414574108

क्रमांकः–635–42 दिनांकः– 11.08.2020

निविदा सूचना सं. 1

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2020–21 में संचालित आत्मा परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, किसान मेला, फार्म स्कूल एवं अन्य कृषक आधारित गतिविधियों / कार्यक्रमों के सुगम संचालन के लिए निम्नांकित सेवा हेतु अनुभवी फर्मो अधिकृत सप्लायरों, पंजीकृत फर्मो से दर संविदा हेतु सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते एवं प्रपत्र प्रारूप वेबसाइट http::/sppp.raj.nic.in & http://krishi.rajasthan.gov.in पर भी देखी और डाउनलोड की जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	अनुमानित व्यय	निविदा प्रपत्र शुल्क (रु.)	धरोहर राशि	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	राज्य के बाहर एवं अन्दर कृषकों के भ्रमण हेतु बस व्यवस्था 50 सीटर (3x2)	01.09.2020 दोपहर 12:00 बजे तक	4.00	200	8000	01.09.2020 दोपहर 03:00 बजे
2	प्रशिक्षण / कार्यशाला / कृषक भ्रमण / मेला एवं अन्य गतिविधियों में चाय, अल्पाहार, भोजन व्यवस्था	01.09.2020 दोपहर 12:00 बजे तक	5.00	200	10000	01.09.2020 दोपहर 04:00 बजे
3	बोलेरो वाहन (एक)	01.09.2020 दोपहर 12:00 बजे तक	1.50	200	3000	01.09.2020 दोपहर 05:00 बजे

निविदाएं द्विस्तरीय होगी– तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा। तकनिकी रुप से सफल निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी निविदा के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना आवश्यक हैं।

शर्ते :–

1. बिना धरोहर राशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने कार्यादेश जारी करने / नहीं करने निविदा कार्य मे कुल अनुमानित लागत राशि मे कमी अथवा बढोतरी का पूर्ण अधिकार विभाग एवं अधोहस्तारक्षकर्ता का होगा।
3. निविदा की अन्य शर्ते कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में तथा वेबसाइट http::/sppp.raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
4. उपरोक्त के क्र.सं. 1, 2 व 3 कार्यक्रम / गतिविधि हेतु अलग–अलग निविदा फार्म भरने होगें एवं पृथक रुप से ही निविदा फार्म की राशि एवं धरोहर राशि देय होगी।

(किशोरी लाल वर्मा)
उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक आत्मा
बाड़मेर

क्रमांकः–635–42 दिनांकः– 11.08.2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. श्रीमान आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राज. जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार , जोधपुर खण्ड जोधपुर।
3. सहायक कम्प्युटर प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को भेज कर लेख हैं कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त बोली अपलोड करावें।
4. श्रीमान सम्पादक ....को डीपीआर दर पर न्युनतम स्पेस पर मुद्रण हेतु।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा ।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा ।

उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक आत्मा
बाड़मेर

कार्यालय उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), बाड़मेर

E-MAIL :- ddagri_barm@rediffmail.com Phone :- 02982-221672,

क्रमांकः— दिनांकः—

: : कृषक भ्रमण हेतु बस व्यवस्था का निविदा प्रपत्र : :

परिशिष्ठ — अ

1. निविदा सूचना संख्या : क्रमांकः— दिनांक—
2. फर्म का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर जिसे निविदा बेची गई : ....
3. अनुमादित लागत (रुपये में) : **4.00 लाख**
4. धरोहर राशि (रुपये में) : **8000/— रुपये**
5. निविदा फार्म शुल्क : **200/— रुपये रसीद संख्या** .... दिनांक : ....
6. निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 01.09.2020 दोपहर 12:00 बजे
7. निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि : 01.09.2020 सांय 12:00 बजे
8. निविदा खोलने की तिथि व समय : **01.09.2020 को दोपहर 3:00 बजे**

क्र. सं.	भ्रमण हेतु राज्यों के नाम	यात्री बस की दरें प्रति किमी 50 सीटर **(3x2)** (समस्त प्रकार के टेक्स व टोल एवं जी.एस.टी. सहित)
1	राज्य के बाहर (अधिकतम सात दिवसीय भ्रमण)	
2	राज्य में (बाडमेर जिले व अन्य जिलों में) (अधिकतम पांच दिवस तक भ्रमण)	

हस्ताक्षर निविदादाता

(किशोरी लाल वर्मा)
उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक आत्मा
बाड़मेर

कार्यालय उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), बाड़मेर

E-MAIL :- ddagri_barm@rediffmail.com Phone :- 02982-220672

क्रमांकः– दिनांकः–

: : बस निविदा के नियम एवं शर्ते : :

1. निविदा तकनिकी एवं वित्तीय बिड पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत की जायेगी।
2. **तकनिकी बिड के लिफाफों में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत करावें।** (A) निर्धारित धरोहर राशि का डी.डी. / बैकर्स चैक (B) जी.सी.एस. टी. रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र (C) **फर्म / एजेन्सी के पास न्यूनतम 5 बसें स्वयं / फर्म के नाम पंजीकृत होनी चहिये। इन सभी बसों की रजिस्ट्रेशन आर सी की प्रतिया** (D)पिछले वर्षों का अनुभव प्रमाण –पत्र यदि हो तो (E) आयकर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति। (f) शपथ–पत्र कार्यालय को एक समय में 3 एवं मांगनुसार बसों की आवश्यकता होगी। अतः फर्म के लेटर पैड पर आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता उक्त मांग अनुसार बसे उपलब्ध करवा देगा।
3. तकनिकी बिड में योग्य पाई गयी निविदाओं को ही वित्तीय बिड खोलने के लिये योग्य माना जायेगा।
4. संबंधित फर्म / ऐजेन्सी टूर एंव ट्रेवल्स के लिये अधिकृत होनी चहिये।
5. बस अच्छी हालात में होनी चाहिए तथा रास्ते में खराब होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा स्वयं के खर्चो पर भ्रमण को कार्यक्रमनुसार पूर्ण करना होगा। प्रत्येक वाहन के साथ प्राथमिक उपचार किट होना आवश्यक है।
6. **प्रति किमी**. दरें मय डीजल / ऑयल / ड्राईवर व सभी तरह के विश्राम, होल्टेज व सभी प्रकार के करों / बीमा दरें प्रति कि.मी. में समाहित कर प्रस्तुत करें ।अन्य प्रकार की दर अलग से मान्य नहीं होगी। अन्य किसी भी तरह का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
7. बिलों पर आयकर / सरचार्ज व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कर नियमानुसार काटें जावेंगें।
8. आवश्यक परमिट निविदादाता का पूर्व में होना आवश्यक हैं। भ्रमण हेतु स्वीकृत निविदादाता को 3 दिवस में पूर्व आदेशित किया जायेगा।
9. आवश्यकतानुसार सभी भ्रमण के लिये एक साथ / आवश्यकतानुसार बस उपलब्ध कराना होगा।
10. वाहन उपलब्ध कराते समय वाहन का रजिस्ट्रशन, बीमा पत्र व वाहन चालक के लाईसेन्स की प्रमाणित छायाप्रति मय आधार कार्ड / परिचय पत्र कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
11. सरकार न्युनतम दर वाली सविंदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं तथा वह किसी भी निवदि को या उसके किसी भी भाग को बिना कारण बताये रदद् कर सकती हैं।
12. प्रत्येक भ्रमण राज्य के अन्दर 3 से 5 दिवसीय एवं बाडमेर जिले में एक दिवसीय आयोजित होगा।
13. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
14. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बाडमेर होगा।
15. निविदा के साथ धरोहर राशि का डी.डी **"उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा), बाड़मेर"** के पक्ष में जमा करानी होगी।
16. भ्रमण की निर्धारित दिनांक से एक दिन पूर्व रात्रि 7 बजे तक बस निर्धारित स्थान पर लगानी होगी एवं अन्य निर्धारित स्थानों से किसानो को एकत्रित करना होगा एवं भ्रमण उपरान्त पुनः कृषकों को रवानगी स्थान पर छोडना होगा।
17. कार्यादेश के 7 दिवस में 500 रुपये के नोन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार अनुबंध करना होगा।
18. निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
19. अपनी निविदा मोहरबंद लिफाफें में भेजे तथा लिफाफें के ऊपर बस व्यवस्था हेतु निविदा तथा जिसे प्रस्तुत की जा रहा हैं उसका नाम पता तथा प्रस्तुत करने वाली फर्म कानाम व पूर्ण पता अंकित करें।
20. निविदा में अंकित दरों में किसी भी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जावे। दरें अंको व शब्दों में स्पष्ट पठनीय अंकित की जावें।
21. टोल टेक्स,स्टेट टेक्स पार्किंग, व अन्य समस्त प्रकार के करों को सम्मिलित करते हुए, अपनी दरें प्रस्तुत करें।
22. सफल निविदादाताओं को 5 प्रतिशत प्रतिभूत राशि 7 दिवस में जमा करानी होगी। धरोहर राशि को अमानत राशि में समाहित कर ली जावेगी।
23. बस किराये का भुगतान प्रतिदिन न्युनतम 250 किमी. का देय होगा एवं किमी की गणना बस रवानगी के निर्धारित स्थान से की जावेगी।
24. उपरोक्त प्रस्तुत दरें 31 मार्च 2021 या कार्य संतोषपद्ध होने पर आपसी सहमति से स्वीकृत दरों पर अवधि बढायी जा सकती हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

(किशोरी लाल वर्मा)
उप निदेशक कृषि पदेन
परियोजना निदेशक आत्मा
बाड़मेर

निविदादाता द्वारा प्रमाण–पत्र

मैनें निविदा सम्बन्धी उपरोक्त समस्त निर्देश एवं शर्तो का अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लिया हैं तथा इसी रुप में स्वीकार करते हुए निविदा प्रस्तुत करता हूँ ।

दिनांक–

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म की मोहर